14.1.26

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभय पक्ष
उप०। वाद पत्र निरस्त किया जाता है। विस्तृत
आदेश अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया।
डिक्री जारी हो। नकल नियम से कट हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2021/33

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 65/2021 GCMS:- 2021/33 दायर दिनांक : 16.03.2021

मक्खन पुत्र स्व. अमरसिंह जाति नायक निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री बाबू लाल चाण्डक, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 14.01.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी के पिता अमरसिंह पुत्र साधुसिंह जाति नायक को बतौर भूमिहीन कृषक दिनांक 25.08.1982 को राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एम.सी. के पत्थर नं. 37/35 के किला नं. 19—20/2.00 बीघा, 21 में 18 बिस्वा, 4 में 11 बिस्वा, 5 से 7/3.00 बीघा, 8 में 15 बिस्वा, 18/1.00 बीघा = 8 बीघा 4 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड, पत्थर नं. 37/37 के किला नं. 3 से 6/4.00 बीघा, 14 से 16/3.00 बीघा, 25 में 18 बिस्वा = 7 बीघा 18 बिस्वा अनकमाण्ड व पत्थर नं. 37/34 के किला नं. 3 में 4 बिस्वा, 4 में 5 बिस्वा, 5 में 14 बिस्वा, 6/1.00 बीघा, 7 में 14 बिस्वा, 12 में 2 बिस्वा, 19 में 8 बिस्वा, 20 में 2 बिस्वा, 21/1.00 बीघा, 22 में 19 बिस्वा = 5 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि कीमतन पुख्ता आवंटित की गई। भूमि का विधि अनुरूप आवंटिती को कब्जा दिया गया। सम्वत् 2045 से [illegible] खसरा गिरदावरी में कब्जा काश्त का इन्द्राज भी है। [illegible] दिनांक 16.10.85 को आवंटिती ने किस्त जमा करवाई। रकबा अनकमाण्ड होने व समय पर बरसात नहीं होने से वादी के पिता द्वारा निर्धारित अवधि में किस्त जमा नहीं करवाई जा सकी, इसलिए किस्त अभाव में दिनांक 20.03.1992 को रकबा खारिज कर दिया गया।

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता अमरसिंह व माता सुगनादेवी का स्वर्गवास हो चुका है। वादी द्वारा किस्त अभाव में खारिजी आदेश दिनांक 20.03.1992 के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई व राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार कर दिनांक 25.03.2014 को आवंटन निरस्ती के आदेश को निरस्त कर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने का आदेश आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किया। पुनः सुनवाई होने पर आवंटन अधिकारी द्वारा पत्थर नं. 37/37 की 1.999 है0 भूमि की ही किस्त जमा करवाई व इतना ही रकबा बहाल किया तथा शेष पत्थर नं. 37/35 व 37/34 की किस्त जमा करवाने बाबत किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया, जबकि चक 7 एम.सी. के पत्थर नं. 37/34 के किला नं. 3 में 4 बिस्वा, 4 में 5 बिस्वा, 5 में 14 बिस्वा, 7 में 8 बिस्वा, 20 में 2 बिस्वा कृषि भूमि व पत्थर नं. 37/35 के किला नं. 4 में 11 बिस्वा, 5 से 7/3.00 बीघा, 8 में 15 बिस्वा, 13/1.00 बीघा, 14 में 3 बिस्वा, 18 में 1 बिस्वा, 19–20/2.00 बीघा, 21 में 18 बिस्वा कृषि भूमि वर्तमान में वादी एवं उसके परिवार सदस्यों के कब्जा काश्त में चली आ रही है। तमाम भूमि की किस्त जमा करवाकर आवंटन बहाल किया जाना था। कानूनी भूल से इस रकबे की बहाली नहीं हुई। रकबा पूर्व में आवंटिती एवं अब वादी के कब्जा काश्त में है। वादी ने वाद स्वीकार कर शेष भूमि चक 7 एम.सी. के पत्थर नं. 37/34 के किला नं. 3 में 4 बिस्वा, 4 में 5 बिस्वा, 5 में 14 बिस्वा, 7 में 8 बिस्वा, 20 में 2 बिस्वा कृषि भूमि व पत्थर नं. 37/35 के किला नं. 4 में 11 बिस्वा, 5 से 7/3.00 बीघा, 8 में 15 बिस्वा, 13/1.00 बीघा, 14 में 3 बिस्वा, 18 में 1 बिस्वा, 19–20/2.00 बीघा, 21 में 18 बिस्वा कृषि भूमि, जो वादी एवं उसके परिवार सदस्यों के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता को आवंटित उक्त कृषि भूमि जो आराजीराज दर्ज चली आ रही है, उस इन्द्राज को संशोधित कर उक्त कृषि भूमि को स्व. अमरसिंह के समस्त वारिसान के नाम अंकित किये जाने की घोषणा करने व बकाया देय किस्त राशि खजानाराज में जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर निम्नानुसार सुनवाई की गई :–

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(1) आया वादी राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एम.सी. का पत्थर नम्बर 37/34 का किला नम्बर 3 में 4 बिस्वा, किला नम्बर 4 में 5 बिस्वा, किला नम्बर 5 में 14 बिस्वा, किला नम्बर 7 में 8 बिस्वा, किला नम्बर 20 में 2 बिस्वा व पत्थर नम्बर 37/35 के किला नम्बर 4 में 11 बिस्वा, किला नम्बर 5 ता 7 में 3.00 बीघा, किला नम्बर 8 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 18 में 1.00 बीघा, किला नम्बर 19–20/2.00 बीघा, किला नम्बर 21 में 18 बिस्वा कृषि भूमि वर्तमान में भी वादी एवं उसके परिवार के सदस्यों के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता को आवंटित उक्त कृषि भूमि जो आराजीराज दर्ज चली आ रही है, उस इन्द्राज को संशोधित करवाकर उक्त कृषि भूमि को स्व. अमरसिंह के समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर अंकन कराने की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है ? (वादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(2) आया वादी वादाधीन कृषि भूमि की बकाया देय किस्त राशि खजानाराज में जमा करवाये जाने के आदेश प्राप्त करने का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है ? (वादी)

(3) अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादी ने स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया और वाद की ताईद की।

बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए पुख्ता आवंटन पट्टा की ओर ध्यान दिलाया व गिरदावरी/जमाबन्दी का अवलोकन करवाया एवं तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि उनके पिता को पुख्ता आवंटित थी। कब्जा मौके पर आवंटिती को प्रदान किया गया था। बाद में भूमि किस्त अभाव में खारिज हुई जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में की गई जो स्वीकार हुई और आदेश निरस्ती मृत व्यक्ति के विरुद्ध माना जाकर निरस्त किया गया व वारिसान को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करने के आदेश राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 25.03.2014 को दिया [illegible] एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मात्र चक 7 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ पत्थर नं. 37/37 की 1.999 है0 रकबा की बहाली की, शेष रकबा छोड़ [illegible], जबकि कुल आवंटित भूमि की किस्तें जमा करवाकर पूर्ण भूमि बहाल होने योग्य थी, इसलिए वादी मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

आवंटिती के माध्यम से चक 7 एम.सी. के पत्थर नं. 37/34 व 37/35 की शेष रही भूमि, जो वर्तमान में रकबा राज दर्ज है व वादी एवं उसके परिवारजन के कब्जा काश्त में है और पुख्ता आवंटिती के वारिस होने से उक्त भूमि के गैर खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर के घोषणा के पात्र हैं तथा बकाया किस्त जमा करवाकर खातेदार होने योग्य हैं। अतः वाद अनुतोष अनुसार स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पैरोकार राज द्वारा राज्य हित को ध्यान में रखकर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन करने पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से हैं :–

तनकी नं. (1) – आया वादी राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एम.सी. का पत्थर नम्बर 37/34 का किला नम्बर 3 में 4 बिस्वा, किला नम्बर 4 में 5 बिस्वा, किला नम्बर 5 में 14 बिस्वा, किला नम्बर 7 में 8 बिस्वा, किला नम्बर 20 में 2 बिस्वा व पत्थर नम्बर 37/35 के किला नम्बर 4 में 11 बिस्वा, किला नम्बर 5 ता 7 में 3.00 बीघा, किला नम्बर 8 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 18 में 1.00 बीघा, किला नम्बर 19–20/2.00 बीघा, किला नम्बर 21 में 18 बिस्वा कृषि भूमि वर्तमान में भी वादी एवं उसके परिवार के सदस्यों के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता को आवंटित उक्त कृषि भूमि जो आराजीराज दर्ज चली आ रही है, उस इन्द्राज को संशोधित करवाकर उक्त कृषि भूमि को स्व. अमरसिंह के समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर अंकन कराने की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा आवंटन पट्टा की प्रति प्रस्तुत कर अपने पिता को प्रश्नगत भूमि पुख्ता आवंटन होने एवं आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर से उक्त भूमि के निरस्त होने के आदेश निरस्त होने से मूल आवंटिती के माध्यम से बतौर वारिस मूल आवंटिती की मृत्यु उपरान्त स्वयं को मूल आवंटिती के स्थान पर बतौर गैर खातेदार पुख्ता आवंटिती दर्ज होने का अधिकारी बताया है। मौका पर कब्जा होने का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। मूल आवंटिती का मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया है, किन्तु वादी द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी से रिमाण्ड होने के बाद उन्होंने मात्र

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

पत्थर नं. 37/37 के 1.999 है0 रकबा की ही किस्तें जमा करवाकर रकबा इतना ही क्यों बहाल किया है एवं इस आदेश के विरुद्ध क्या आवंटिती अथवा उसके वारिसों द्वारा आवंटन नियमों के अन्तर्गत कोई अपील की गई अथवा नहीं तथा यदि अपील की गई तो उसका क्या निर्णय हुआ ? आवंटन नियम विशेष नियम है, उसमें अपील के भी प्रावधान हैं। सीधे वाद से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। जब तक आवंटन नियमों में आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा रकबा बहाल कर किस्तें जमा नहीं करवा ली जाती, वादी काश्तकारी अधिनियम के किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनता। वादी पूर्व में आवंटन नियमों में ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वहां अनुतोष प्राप्त होने पर ही यदि उसका अंकन नहीं होता तब वाद के माध्यम से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आवंटन नियम विशिष्ट नियम है। Special over rules the general का सिद्धान्त यहां प्रभावशील होता है, इसलिए तनकी नं. 1 वादी सिद्ध करने में असफल रहा है, इसे विरुद्ध वादी निर्णय किया जाता है।

तनकी नं. (2) – <u>आया वादी वादाधीन कृषि भूमि की बकाया देय किस्त राशि खजानाराज में जमा करवाये जाने के आदेश प्राप्त करने का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। यह आदेश उन्हें रिमाण्ड पत्रावली में दिया जा सकता है, काश्तकारी अधिनियम में नहीं। बाद रिमाण्ड आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा चक 7 एम.सी. के पत्थर नं. 37/37 की 1.999 है0 भूमि की किस्तें जमा करवाई गई हैं, शेष भूमि की किस्तें क्यों नहीं जमा हुई, यह वादी नहीं बता पाया। अनुतोष आवंटन नियमों में ही प्राप्त किया जा सकता है, काश्तकारी अधिनियम में नहीं। अतः उक्त तनकी नं. 2 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1 व 2 विरुद्ध वादी निर्णय होने से वाद वादी सन्देह से परे सिद्ध ना होने से [illegible] किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल [illegible] हो।

आज दिनांक 15/01/2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

मक्खन पुत्र स्व. अमरसिंह जाति नायक निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.) **–वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर **–प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 65 वर्ष 2021 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री बाबू लाल चाण्डक एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी सन्देह से परे सिद्ध ना होने से निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14.01.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested